'अप्प दीपो भव'

वॉयस ऑफ बुद्धा

Postal Reg. No.-DL(ND)-11/6144/2013-15
WPP Licence No.- U(C)-101/2013-15
R.N.I. No. 68180/98

प्रकाशन तिथि– 15 नवंबर, 2013

मूल्य : पाँच रूपये

प्रेषक : डॉ0 उदित राज (राम राज) चेयरमैन – जस्टिस पब्लिकेशंस, टी–22, अतुल ग्रोव रोड, क्नॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001, फोन : 23354841–42

Website : www.uditraj.com E-mail: dr.uditraj@gmail.com

● वर्ष : 16 ● अंक 24 ● पाक्षिक ● द्विभाषी ● 1 से 15 नवंबर, 2013

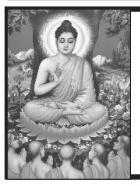

हजारों खोखले शब्दों से अच्छा वह एक शब्द है जो शांति लाये।

–गौतम बुद्ध

सफाई के काम में ठेकेदारी प्रथा की समाप्ति हेतु 16 दिसंबर को दिल्ली में रैली

निर्भय कर्ण

भले ही हमारी आवाज सफाईकर्मियों तक नहीं पहुंच रही हो लेकिन हमने अपने फर्ज को बड़े ईमानदारी से निभाया है और आगे भी निभाते रहेंगे। सन् 1997 से अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ के माध्यम से न केवल सफाई के काम में ठेकेदारी प्रथा की खात्मा की बात उठाई बल्कि समयबद्ध पदोन्नति के लिए भी लड़ा। यदि पांच आरक्षण विरोधी आदेश वापिस हो सकते हैं तो सफाई कर्मचारियों की मांगे भी पूरी करायी जा सकती थी। आरक्षण विरोधी आदेशों के लिए जिस तरह से अनुसूचित जाति–जनजाति के कर्मचारी संघर्ष किए उस तरह से सफाईकर्मी न कर सके। हमने बहुत सोचा और विचारा तब इनके लिए अलग से सफाई कामगार संगठनों का परिसंघ का गठन 5 अक्टूबर, 2013 को किया ताकि परिसंघ में नेतृत्व की भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर सके। अभी भी आशा है कि सफाई कर्मचारियों में सम्मान एवं भागीदारी की भावना पैदा होगी और आगामी 16 दिसंबर को जो रैली जंतर–मंतर, नई दिल्ली में होनी है उसमें भारी संख्या में वे भाग लेकर अपनी आवाज को बुलंद करेंगे।

जिन कौमों ने अपनी दशा को सुधारा है उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी है। भूखे रहें, जेल गए, धरना–प्रदर्शन तो करते ही रहे और यहां तक कि अपमान का पेशा छोड़ने के बाद खाने–कपड़े नहीं रहे तो भी लड़ते रहे। बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में महार एवं दलित समाज की कुछ जातियों ने ऐसा ही किया था और सफाई कर्मचारियों को इसी मार्ग पर चलना पड़ेगा। जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वह मान–सम्मान की लड़ाई नहीं लड़ सकता। बाल्मिकी समाज का इतिहास बड़ा गौरवमय रहा है और लगता है कि वे भूल गए हैं, जरूरत है याद कराने की। हमारा परिसंघ इसी स्थिति को प्राप्त करना चाहता है। साथियों, मान–सम्मान और भागीदारी के लिए दान–बलिदान की जरूरत है। अतः इस रैली को सफल बनाने के लिए न केवल बड़ी उपस्थिति की जरूरत है बल्कि आर्थिक सहयोग भी अपेक्षित है।

रैली की तैयारी हेतु एवं अधिक जानकारी के लिए निम्नलिखित नंबर व ईमेल पर संपर्क करें :–

विनोद कुमार
राष्ट्रीय अध्यक्ष
सफाई कामगार संगठनों का परिसंघ
***मो.* - 9871237186**
Email-sks@gmail.com

आम आदमी पार्टी से सावधान

विनोद कुमार

अरविंद केजरीवाल मीडिया, उद्योगपतियों एवं विदेशी ताकतों की पैदाईश है। ईमानदारी का ढ़िढोरा पीटने वाला यह आदमी अपनी शुरुआत फोर्ड फाउंडेशन जैसी संस्थाओं से पैसा लेकर किया था। फोर्ड फाउंडेशन अमरीका की सीआईए के द्वारा संचालित होती है। ज्ञात रहे कि जब अन्ना हजारे ने जनलोकपाल बिल लागू करने के लिए रामलीला मैदान, नई दिल्ली में अनशन किया था तब डॉ. उदित राज के नेतृत्व में अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ की ओर से समानांतर आंदोलन चलाया गया था और बहुजन लोकपाल बिल संसद के स्थायी समिति के समक्ष पेश किया गया। अगर अरविंद केजरीवाल ईमानदार थे तो जन लोकपाल बिल में एनजीओ, न्यायपालिका एवं मीडिया में भ्रष्टाचार को भी शामिल करते। जब हमने जन लोकपाल बिल में दलितों, पिछड़ों एवं अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण पर अन्ना हजारे एवं टीम से समर्थन मांगा तो वे चुप रहे। जब संसद में बहस हुई तो बहुजन लोकपाल बिल में उठाई गयी आरक्षण की मांग पर सहमति बन गई। लोकपाल जब भी बने यह अधिकार मिलकर रहेगा। यदि संसद लोकपाल में आरक्षण देने की मांग की सहमति नहीं दी होती तो अन्ना हजारे एवं अरविंद केजरीवाल अभी तक शायद जन लोकपाल बिल लागू कराने के लिए संघर्ष करते रहते। इन्हें लगा कि अब तो लोकपाल बिल में 50 प्रतिशत का आरक्षण हो गया है तो लागू कराने से उनके वर्ग को फायदा होने वाला है नहीं। उससे निराश होकर जन लोकपाल बिल की लड़ाई छोड़ दिए और आम आदमी पार्टी बना ली। यह कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी का जन्म ही आरक्षण के विरोध में हुआ है। 2006 में जब पिछड़ों को उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण मिला तो अरविंद केजरीवाल ने इसके खिलाफ आंदोलन चलाया था। 2007 में किरण बेदी, रवि शंकर के साथ मिलकर के जंतर–मंतर पर आरक्षण मुक्त भारत बनाने के लिए धरना–प्रदर्शन किया था। इस विधानसभा चुनाव में बाल्मिकी समाज को ठगने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया है और कहा है कि जब वह सरकार में आएंगे तो सफाई के काम में ठेकेदारी प्रथा का खात्मा कर देंगे। अरविंद केजरीवाल ने ताप्ती छात्रावास, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में 2 अगस्त, 2008 को इक्विलिटी फोरम के मंच से भी आरक्षण के विरोध में वक्तव्य दिया था। बाल्मिकी समाज के लोगों को भी सावधान हो जाना चाहिए कि जो आदमी लगातार इक्विलिटी फोरम के माध्यम से आंदोलन चलाया हो क्या वह दलित हितैषी हो सकता है? यह आदमी बेहद चालाक है। अन्ना हजारे को भी धोखा दिया, अतः जिस समाज को आरक्षण चाहिए उसे तो कभी भी आम आदमी पार्टी को वोट देना ही नहीं चाहिए। यदि यह पार्टी बढ़ गई तो वही हालत होगा जो हालत अन्ना हजारे का इन्होंने किया था अर्थात् धोखा देना।

क्रिकेट में दलित हिस्सेदारी

मोहनदास नैमिशराय

ब्रिटिश शासन के समय क्रिकेट के इतिहास में भारतीयों की हिस्सेदारी जितनी अजीबोगरीब तरीके से हुई, उतने ही अजीबोगरीब तरीके से क्रिकेट में राजनीति की घुसपैठ से परिस्थितियों का निर्माण होने लगा था। माना जा सकता है कि क्रिकेट खिलाड़ियों में भयंकर प्रतिस्पर्धा होने पर प्रतिभा का हनन हुआ, लेकिन उस प्रतिस्पर्धा की आग में राजनीति ने जो घी का काम किया वह क्रिकेट के इतिहास का दुखद पहलू था। क्रिकेट के खेल में विश्व में भारतीयों द्वारा अर्जित ख्याति के बावजूद इस सांप–सीढ़ी के खेल में जहां कुछ को ख्याति के साथ अकूत धन–दौलत मिली, वहीं कुछ के हिस्से में विफलता के साथ गुमनामी आई।

पर राजनीति के साथ जब जाति का तड़का भी लगना शुरू हुआ तो उन नायकों को अंधेरे में धकेल दिया गया, जिन्हें आज सुनील गावसकर और तथाकथित भगवान सचिन तेंदुलकर भी न जानते होंगे। क्रिकेट के द्विज समीक्षाकार और इतिहासकारों को तो इस बारे में कुछ मालूम ही न होगा। इसलिए क्रिकेट के ऐसे सवर्ण जानकारों में अधिकतर ने सोचा ही न होगा कि केंद्र से हाशिये पर गया क्या कभी कोई दलित क्रिकेटर इतना प्रतिभाशाली हो सकता है, जिसके बारे में 1913 में हिंदू टीम का कप्तान बनाए जाने के विशेष सम्मान से जुड़े अभिनंदन समारोह में खुद एमडी पै ने कहा था, 'कप्तानशिप का यह सम्मान तो टीम में वरिष्ठ और अनुभवी खिलाड़ी मेरे मित्र पी बालू को दिया जाना चाहिए।'

इसे उदारता कहें या कुटिलता, हम इस बहस में नहीं पड़ेंगे। पर इतना अवश्य कहना चाहेंगे कि 1913 से पूर्व और बाद में भी क्रिकेटर एमडी पै की इस भावना को ईमानदारी से हिंदुओं ने नहीं लिया। हिंदू जिमखाना, बंबई के वकील और व्यापारियों ने तो इस उदारता में बिल्कुल हिस्सेदारी नहीं निभाई। एक ब्राह्मण 'पै' के स्थान पर दलित जाति

शेष पृष्ठ 4 पर ...

दलित-प्रश्न और मीडिया

उर्मिलेश

'नो वन किल्ड जेसिका', सिर्फ एक शानदार अखबारी शीर्षक नहीं था। अपराध-दंड प्रक्रिया में व्याप्त विसंगतियों को उद्घाटित कर वह एक जन-अभियान का नारा बन गया, जिसने अंततः कामयाबी हासिल की। लेकिन मध्य बिहार के लक्ष्मणपुर-बाथे में मारे गए दलित-उत्पीड़ित तबके के अड्डावन लोगों के बारे में लंबे इंतजार के बाद नौ अक्तूबर को पटना उच्च न्यायालय का जो फैसला आया, उसके बाद ऐसी आवाजें नहीं उठीं। तरह-तरह के विषयों, असली-नकली विवादों, नियोजित-प्रायोजित समाचारों, पूर्वग्रहों-आग्रहों और अंधविश्वासों पर स्टूडियों-बहसों में उलझे रहने वाले देश के दर्जनों टीवी चैनलों पर भी उस शाम या अगले दिन कोई बहस नहीं सुनी गई।

राष्ट्रीय राजधानी से छपने वाले अखबारों का हाल भी इससे कुछ अलग नहीं था। अंग्रेजी में 'द हिंदू' और हिंदी में 'जनसत्ता' के अलावा अन्य अखबारों में यह खबर या तो छपी नहीं या छपी तो कहीं हाशिये पर। लक्ष्मणपुर बाथे के शोक में सिविल सोसायटी को भी शामिल होते नहीं देखा गया। हमारी सिविल सोसायटी क्या दलित के मामले में संजीदा नहीं है? क्या उसमें सिर्फ सवर्ण हिंदू समाज का सभ्य तबका है या कि वह सिर्फ शहरी समुदाय के सवालों पर आंदोलित होती है?

1 दिसंबर, 1997 की रात मध्य बिहार के लक्ष्मणपुर बाथे गांव के अड्डावन गरीब दलित लोगों की बड़े नृशंस ढंग से हत्या कर दी गई थी। अरवल-जहानाबाद इलाके के इस गांव में भूस्वामियों के हथियारबंद गिरोह ने उस रात औरतों-बच्चों को भी नहीं बख्शा। मारे गए लोगों में सत्ताईस औरतें और सोलह बच्चे थे, इनमें कुछ दुधमुंहे बच्चे भी थे। इलाके में सक्रिय एक दबंग समुदाय के भूस्वामियों की निजी सेना- 'रणवीर सेना' ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। तब बिहार ही नहीं, देश भर में इस पर तीखी प्रतिक्रिया हुई थी। तत्कालीन राष्ट्रपति के. आर. नारायणन ने माना कि भारतीय गणराज्य के लिए यह 'राष्ट्रीय-शर्म' है।

मगर इस 'राष्ट्रीय शर्म' पर बिहार की 'सुशासन-मुखी' सरकार का रवैया शर्मनाक रहा। उसने हत्याकांड की पुलिस-पड़ताल को निहित-स्वार्थों से प्रेरित अफसरों के हवाले कर दिया और पुख्ता साक्ष्यों की भी अनदेखी की गई। बताया जाता है कि साक्ष्यों और अन्य गवाहियों के साथ दलितों के हत्यारों और सत्ता-संरचना, खासकर नौकरशाही में बैठे उनके मददगारों को छेड़छाड़ करने का भरपूर मौका मिला। रही-सही कसर न्यायिक प्रक्रिया की अन्य जटिलताओं ने निकाल दी। पटना उच्च न्यायालय ने मुकदमे का फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों, जिन्हें निचली अदालत से फांसी या उम्रकैद की सजा मिली थी, को ठोस साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया। आरोपियों को संदेह का लाभ दिया गया। निचली अदालत ने अप्रैल, 2010 में इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर सोलह कसूरवारों को फांसी और दस को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। पटना उच्च न्यायालय के फैसले के बाद यह सवाल स्वाभाविक है कि लक्ष्मणपुर बाथे के दलितों की हत्या किसने की! हमारे गणराज्य के लिए 'राष्ट्रीय-शर्म' बताए गए इतने बड़े गुनाह का गुनहगार कौन था?

मुख्यधारा मीडिया में ये सवाल उसी तरह नहीं उठे, जिस तरह राष्ट्रीय राजधानी से सटे हरियाणा के गांवों-कस्बों में दलित बच्चियों के बलात्कार या बलात्कार के बाद हत्या के अनगिनत मामलों पर नहीं उठते। हाल के दिनों में हरियाणा के गांवों-कस्बों में दलित लड़कियों से बलात्कार या बलात्कार के बाद हत्या के बत्तीस से अधिक मामले दर्ज हुए। राष्ट्रीय दलित मानवाधिकार अभियान (एनसीडीएचआर) के मुताबिक सिर्फ बीते दो-तीन साल के मामले जोड़े जाएं तो दलित महिलाओं के साथ जुल्मोसितम की बेहद खौफनाक तस्वीर उभरती है। ज्यादातर मामलों में इलाके के दबंग भूस्वामी समुदाय से जुड़े अपराधी ही अभियुक्त हैं, जिनका हरियाणा की सत्ता-सियासत और तिजारत में वर्चस्व माना जाता है।

पर राष्ट्रीय कहे जाने वाले दिल्ली से संचालित मीडिया समूहों, खासकर न्यूज चैनलों में हरियाणा की दलित-महिलाओं पर ढाए जा रहे जुल्मोंसितम की यह खौफनाक तस्वीर शायद ही कभी दिखती है। ऐसे में क्या आश्चर्य कि दिल्ली से सैकड़ों किलोमीटर दूर बिहार के एक गांव में एक ही रात मारे गए अड्डावन दलितों का मामला मुख्यधारा के मीडिया को बड़ा मुद्दा नहीं लगता!

चलिए, मीडिया तो व्यावसायिक संस्था है, पर मुख्यधारा के राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया भी इससे ज्यादा अलग नहीं थी। वे भी मीडिया की तरह इस पर चुप रहे। दलितों के हालात पर आंसू बहाने वाले इन दलों के नेताओं ने एक बयान तक देना मुनासिब नहीं समझा। दोनों की निर्मम खामोशी के कारण लगभग एक जैसे हैं।

यह पहला दलित हत्याकांड नहीं है, जिसके विस्मयकारी अदालती फैसले पर ऐसी राष्ट्रीय खामोशी देखी गई। इस फैसले से पहले बिहार के ही बथानी टोला और नगरी बाजार के हत्याकांडों में भी निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए उच्च न्यायालय ने कसूरवारों को साक्ष्य के अभाव में बरी किया था। इन दोनों हत्याकांडों में दलित-उत्पीड़ित जाति-समुदाय के लोगों को दबंग-भूस्वामियों द्वारा नृशंसतापूर्वक मारा गया। बथानी टोला हत्याकांड मामले में जुलाई, 2012 और नगरी बाजार हत्याकांड के बारे में मार्च, 2013 में पटना उच्च न्यायालय का फैसला आया था। इन फैसलों को लेकर समाज के उत्पीड़ित तबकों में गहरी निराशा और आक्रोश देखा गया।

दलित-उत्पीड़ितों पर संगठित भूस्वामी-हमलों और हत्याकांडों का बिहार में पुराना सिलसिला रहा है। दलितों के सर्वाधिक हत्याकांड कांग्रेस के राज में हुए। ज्यादातर मामलों में कसूरवारों को कभी सजा नहीं मिली, क्योंकि वे बेहद संगठित और राजनीतिक-आर्थिक तौर पर ताकतवर रहे हैं। कुछेक को मिली भी तो नाममात्र के लिए। तत्कालीन सरकार और उसके अधीन काम करने वाले नौकरशाहों ने दलितों के हत्यारों को बचाने की हर संभव कोशिश की। 1971 के बृशंस रूपसपुर चंदवा हत्याकांड को बिहार में दलित-आदिवासी समुदाय पर संगठित हमले का पहला राजनीति-प्रेरित कांड माना जाता है। इसमें संथाल आदिवासी मारे गए थे। बिहार विधानसभा के तत्कालीन अध्यक्ष लक्ष्मीनारायण सुधांशु के परिवार के सदस्य भी आरोपियों की सूची में शामिल थे।

तब से लेकर सन् 1989 के दनवार बिहटा हत्याकांड तक, कांग्रेस और उसके नेतृत्व वाली सरकारों में शामिल नेताओं-नौकरशाहों ने हमेशा दलितों के खिलाफ भूस्वामी गिरोहों का साथ दिया। कांग्रेस-शासन में हुए अन्य हत्याकांडों में अरवल जनसंहार खासतौर पर उल्लेखनीय है, जिसमें भूस्वामियों और पुलिस ने मिल कर तेईस दलित-पिछड़ों को मार डाला था। उस वक्त वे मजदूरी और इज्जत की रक्षा के सवाल पर आमसभा कर रहे थे। सन् 71 से 89 के बीच पारसबिघा, नोनही-नगवां, छेछानी और कंसारा सहित तीन दर्जन से अधिक दलित-पिछड़े समुदाय के लोगों के सामूहिक जनसंहार हुए। कांग्रेस शासित-सरकारों में नेतृत्व चाहे जिसका रहा हो, भूस्वामियों की निजी सेनाओं के खिलाफ कभी निर्णायक कदम नहीं उठाए जा सके। इस तरह की हिंसा की जड़ में जमीन, इज्जत और मजदूरी के सवाल थे, उन्हें संबोधित करने की कोशिश भी नहीं की गई। हुक्मरान दबंग भूस्वामियों के पक्ष में खड़े दिखे।

नतीजतन, 1989-90 आते-आते बिहार के दलितों-पिछड़ों ने पूरी ताकत से कांग्रेस को उखाड़ फेंका और फिर वह सत्ता में कभी नहीं आई। दलितों-गरीबों के लिए बड़ी-बड़ी बातें कर रहे राहुल गांधी को आज कौन बताए कि बिहार में कांग्रेस का नेतृत्व हमेशा भूमि-सुधार के एजेंडे के खिलाफ खड़ा रहा। कांग्रेस-राज के पतन के बाद बिहार की सत्ता में आई लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और नीतीश कुमार की सरकारों से बुनियादी भूमि सुधार की जो अपेक्षा थी, उसे इन तीनों में किसी ने पूरा नहीं किया। सुशासन के सूत्रधार और अपने को 'विजनरी' साबित करने के लिए नीतीश कुमार ने सत्ता में आने के कुछ समय बाद बंगाल के 'आपरेशन-बर्गा' के योजनाकार माने जाने वाले अवकाशप्राप्त आइएएस अधिकारी डी बंद्योपाध्याय को बिहार बुला कर उनकी अगुवाई में भूमि सुधार के लिए एक आयोग बनाया। लेकिन कुछ ही समय बाद आयोग को ठंडे बस्ते में डालने का सिलसिला शुरू हो गया।

बंद्योपाध्याय आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट अप्रैल, 2008 में सरकार को सौंपी। पर सरकार ने उसे कूड़ेदान में डाल दिया। समस्या जस की तस बनी रही। बिहार की नौकरशाही और पूरे राजकाज पर पहले की तरह ही भूस्वामी-नवधनाढ्य वर्गों और उनके विचारों का वर्चस्व जारी रहा। सत्ता के शीर्ष पर चाहे जो रहे, सरकार चलाने वालों का वर्ग चरित्र, सरोकार और सोच में कोई गुणात्मक बदलाव कभी नहीं आया। सत्ता-शीर्ष पर बदलाव से कुछ मामूली फर्क जरूर दिखे, पर वे निर्णायक नहीं साबित हुए।

अब नीतीश कुमार सरकार ने बथानी टोला संबंधी पटना उच्च न्यायालय के फैसले की तरह लक्ष्मणपुर बाथे पर फैसले को भी सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने का फैसला किया। लेकिन सिर्फ चुनौती देने से क्या होगा? अगर सरकार की पुलिस, उच्च नौकरशाही और नेता खुद गुनहगारों के बचाव में उतर आएंगे तो न्यायिक प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ेगी? न्यायालय में पूरे मामले को इतना कमजोर बना कर पेश कर दिया जाएगा कि न्याय पाने की संभावना ही न रहे। ज्यादातर हत्याकांडों के मामले में शुरू से ही सरकारी महकमों, खासतौर पर बिहार पुलिस की भूमिका संदिग्ध ही नहीं, गुनहगारों के पक्ष में दिखती रही है।

पारसबिघा हत्याकांड के बारे में तो माननीय उच्च न्यायालय ने 3 जुलाई, 1986 के अपने ऐतिहासिक फैसले में यहां तक कह दिया कि सरकार में बैठे लोग ही हत्यारों को बचाने में लगे रहे। यही हाल लक्ष्मणपुर बाथे का रहा। बताया जाता है कि राज्य की नौकरशाही में वर्चस्व रखने वाला एक खास जातीय-समूह हर हाल में गुनहगारों को बचाने में जुटा था। जिस तरह यह मुकदमा लड़ा गया, पुलिस ने मामले की जांच-पड़ताल की, जिस तरह एक प्रमुख गवाह को पुलिस की नौकरी देकर कुछ खास अफसरों के मातहत रखा गया, उससे एक साथ कई सवाल उठते हैं।

इससे साफ है कि नौकरशाही की नीयत में शुरू से खोट था। अदालती फैसले के बाद लक्ष्मणपुर बाथे के लोग दहशत में हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या उनके मंत्री-उच्चाधिकारी निराश और दहशतजदा दलितों को भरोसा दिलाने इस गांव के दौरे पर जाने का वक्त नहीं निकाल सके। अचरज की बात है कि सुशासन की बात करने वाले नीतीश कुमार ने सत्ता में आने के तत्काल बाद लक्ष्मणपुर बाथे कांड से जुड़े तमाम पहलुओं और रणवीर सेना की आपराधिक गतिविधियों की जांच के लिए पूर्ववर्ती राबड़ी देवी सरकार द्वारा गठित अमीर दास जांच आयोग को भंग कर दिया। जिस समय यह हत्याकांड हुआ, बिहार में राबड़ी देवी की सरकार थी। नीतीश के सरकार में आने के बाद एक दिन अचानक इस आयोग को खत्म कर दिया गया।

बताते हैं कि अमीर दास जांच आयोग के घेरे में कांग्रेस, भाजपा, जद (एकी) और राजद के भी कुछ नेता आ गए थे। इससे तत्कालीन जद (एकी)-भाजपा गठबंधन के शीर्ष नेता परेशान थे। भाजपा के कुछ प्रमुख प्रांतीय नेताओं ने अपने गठबंधन-सहयोगी जद (एकी) के नेताओं को समझा-बुझा कर आयोग को अंततः भंग करा दिया। अगर आयोग को पड़ताल करने दिया गया होता तो उच्च न्यायालय के समक्ष शायद साक्ष्यों की किल्लत न होती, जिसे कथित आधार बना कर न्यायालय ने सारे आरोपियों को बरी किया।

आयोग से भी ज्यादा जरूरी थी, मीडिया की निष्पक्षता और सक्रियता। लेकिन दलितों के मामले में मीडिया भी पूर्वग्रहों का शिकार दिखा। जिस समय नीतीश इस आयोग को भंग कर रहे थे, बिहार में मीडिया का बड़ा हिस्सा तत्कालीन जद (एकी)-भाजपा गठबंधन के सुशासन की तारीफों के पुल बांधने में जुटा रहता था। राष्ट्रीय कहे जाने वाले मीडिया को दूर-दराज और दलित-आदिवासियों के दुख-दर्द की चिंता करने के लिए वक्त ही कहां है!

(साभार-जनसत्ता)

आगामी रैली से संबंधित हैंडबिल का नमूना छापा जा रहा है। परिसंघ के नेताओं से अपील है कि अपनी ओर से भी छपवाकर वितरित करें व तैयारी जोर से करें

परिसंघ के आह्वान पर निजी क्षेत्र में आरक्षण एवं आर्थिक सत्ता में भागीदारी के लिए रैली

16 दिसंबर, 2013 (सोमवार) को प्रात: 11 बजे लाखों की संख्या में जंतर-मंतर, नई दिल्ली पर एकत्र होकर संसद का घेराव करें

साथियो,

अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ की स्थापना 1997 में हुई। यह तब हुई थी जब पांच आरक्षण विरोधी आदेश भारत सरकार ने जारी किए। इसके महान संघर्ष की वजह से 81वां, 82वां एवं 85वां संवैधानिक संशोधन हुए तब जाकर आरक्षण बचा। इस संघर्ष की 11 दिसंबर 2000 की रैली इतनी बड़ी थी कि आजाद भारत की 10 बड़ी रैलियों में से एक मानी गई थी जिसके प्रभाव से आरक्षण बचा (हिंदुस्तान समाचार की रिपोर्ट)। 4 नवंबर 2001 को लाखों लोग बौद्ध बने। निजी क्षेत्र में आरक्षण के महत्व को जब लोग समझ भी नहीं पाते थे तब से परिसंघ इसकी मांग उठाता रहा है और अब यह राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। 2006 में जब पिछड़ों को उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण मिला तो परिसंघ ही संघर्ष करके विरोध को दबाया और आरक्षण लागू कराया। अन्ना हजारे ने जब हठ किया कि लोकपाल बने और वह संविधान से भी ऊपर हो तो हमने ही उसका जवाब दिया। बहुजन लोकपाल बिल पेश किया और इसी से संसद में जब लोकपाल पर बहस हुई तो आरक्षण का प्रावधान रखा गया। कुल मिलाकर 1997 से लेकर अब तक परिसंघ ही एकमात्र संगठन रहा जिसने नतीजा देने वाली लड़ाई लड़ी। शेष अधिकतर संगठन चंदाखोरी, सभा–सम्मेलन और कैडर करने में ही लगे रहे।

निजी क्षेत्र में आरक्षण जिंदगी और मौत का प्रश्न बन गया है। यूपीए प्रथम के समय में सरकार कुछ गंभीर थी लेकिन जब हम थोड़ा अपने ही लोगों के द्वारा टांग खिंचाई से कमजोर हुए तो सरकार के ऊपर दबाव कम हुआ और अभी तक निजी क्षेत्र में नौकरी देने के लिए कानून नहीं बना। हमारे कमजोर होने से पदोन्नति में आरक्षण उत्तर प्रदेश में छिना क्यूंकि वहां के कर्मचारियों ने 4 जनवरी 2011 के बाद से भी हमारा साथ नहीं दिया। इसी दिन लखनऊ हाईकोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण समाप्त करने का फैसला दिया था। फैसले के अंतिम पैराग्राफ में उल्लेख भी था कि राज्य सरकार चाहे तो 2006 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए एम. नागराज के फैसले में शर्तों को पूरा करते हुए आगे इस अधिकार को यथास्थिति रख सकती है। उसने ऐसा न करके सुप्रीम कोर्ट में अपील किया और 27 अप्रैल 2012 को फिर से उल्टा फैसला आ गया। नागराज की तीन शर्तें– पिछड़ापन, प्रतिनिधित्व और दक्षता गलत हैं क्योंकि 77वें, 81वें, 82वें एवं 85वें संवैधानिक संशोधनों में ऐसा नहीं है। आरक्षण कानून बनाने के लिए 2004 से बिल लंबित है और अभी तक यह संसद से पास नहीं हो सका है।

निजीकरण एवं भूमंडलीकरण की वजह से जिसके पास धन है उसी की मीडिया, सत्ता और तमाम ताकतें है। जिस दौर से हम गुजर रहे हैं उसमें विचारधारा की लड़ाई नहीं रह गई है। ऐसे में यदि दलित आदिवासी को आर्थिक सत्ता में भागीदारी के लिए प्रशिक्षण, कैडरकैम्प, तकनीकी सहायता, कर्ज, बाजार, नेटवर्क, मांग एवं पूर्ति आदि के लिए इन्हें तैयार नहीं किया गया तो ये गुलाम ही रह जाएंगे।

उपरोक्त समस्याओं के अतिरिक्त सफाई कर्मियों का बेतहाशा शोषण और इस कार्य में ठेकेदारी प्रथा है। उच्च न्यायपालिका एवं सेना में आरक्षण आदि बड़ी समस्याएं हैं। जाति–प्रमाणपत्र जारी होने में परेशानी और एक राज्य का दूसरे राज्य में न मान्य होना, नौकरी में भारी नुकसान है। हमारे सामने दलित एकता की बड़ी चुनौती है। जब तक हम बाबा साहेब एवं अपने पूर्वजों की विचारधारा को दलित समाज की समस्त जातियों में जो कम अंबेडकरवादी हैं जैसे बाल्मिकी, खटिक, मादिगा, पासी, धानुक, धोबी, कोली आदि में नहीं फैलाते हैं, तब तक हमारी संख्या और एकता कम रहेगी और उपरोक्त अधिकारों को हासिल करना मुश्किल होगा। परिसंघ आह्वान करता है कि अब आप गैर–अंबेडकरवादियों के बीच जाकर अपनी ताकत को बढ़ाएं। हमारी लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन की है और प्रत्येक क्षेत्र में भागीदारी चाहते हैं।

उपरोक्त मांगों को लेकर 16 दिसंबर 2013 को प्रातः 11 बजे नई दिल्ली स्थित जंतर–मंतर पर लाखों की रैली के उपरांत प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा जाएगा।

निवेदक : इंदिरा आठवले, प्रधान महासचिव

भवननाथ पासवान, डॉ0 अनिल कुमार, एस. पी. सिंह (उ0प्र0), एस.यू. गडपायले, सिद्धार्थ भोजने, प्रकाश पाटिल (महाराष्ट्र), महासिंह भूरानिया, एस. पी. जरावता, फूल सिंह गौतम, दीपक पायलट (हरियाणा), जसबीर सिंह पाल, दर्शन सिंह चंदेढ़ (पंजाब), विनोद कुमार (मो.– 9871237186), डॉ. नाहर सिंह, एन. डी. राम, ललित कुमार, आर. सी. मथुरिया, ब्रह्म प्रकाश, ए. आर. कोली, पी. आर. मीणा (दिल्ली), इन्द्राज सिंह, विश्राम मीना (राजस्थान), आर.वी. सिंह, हीरा लाल, एच.सी. आर्या, रोहित कुमार, जयपाल सिंह (उत्तराखंड), डी.के. बेहरा, डॉ. के. सी.मल्लिक, शंखानंद, नारायन चरन दास (उड़ीसा), परम हंस प्रसाद, आर.बी. सिंह (म.प्र.), आर. एस. मौर्या, दीपक पटेल (गुजरात), जी. रंगनाथन, बी. सगादेवन, एम. पी. कुमार (तमिलनाडु), के. रमनकुट्टी (केरल), मधु चन्द्रा (मणिपुर), महेश्वर राज, जी. शंकर, प्रेम कुमार, आई मैसया, एस. रामकृष्णा, जे. बी. राजू, वाई. एम. विजय कुमार, बी. नरसिंह राव, पी. वी. रमणा (आन्ध्र प्रदेश), अनिल मेश्राम, हर्ष मेश्राम (छत्तीसगढ़), कमल कृष्ण मंडल, रामेश्वर राम, सपन हलदर (प.बंगाल), मधुसूदन कुमार, विनय मुंडू (झारखण्ड), आर.के. कलसोत्रा (जम्मू व कश्मीर), मदन राम, कुमार धीरेंद्र (बिहार), जे. श्रीनिवासलू, जी. वेंकटस्वामी, पुरुषोत्तम दास (कर्नाटक), सीताराम बंसल (हि.प्र.)

अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ

पत्राचार : टी-22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-1, फोन : 23354841-42, टेलीफैक्स : 23354843 Email : dr.uditraj@gmail.com

जय भीम ! जय भारत !!

अनुसूचित जाति / जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय

परिसंघ

के आवाहन पर

डॉ० उदित राज
राष्ट्रीय चेयरमैन

निजी क्षेत्र एवं पदोन्नति में आरक्षण एवं आरक्षण कानून के लिए

16 दिसंबर, 2013 (सोमवार) को प्रात: 11 बजे
जंतर मंतर, नई दिल्ली पर

महारैली एवं संसद का घेराव

निवेदक : इंदिरा आठवले, प्रधान महासचिव

भवननाथ पासवान, डॉ० अनिल कुमार, एस. पी. सिंह (उ०प्र०), एस.यू. गडपायले, सिद्धार्थ भोजने, प्रकाश पाटिल (महाराष्ट्र), महासिंह भूरानिया, एस. पी. जरावता, फूल सिंह गौतम, दीपक पायलट (हरियाणा), जसबीर सिंह पाल, दर्शन सिंह चंदेढ़ (पंजाब), विनोद कुमार (मो. 9871237186), डॉ. नाहर सिंह, एन. डी. राम, ललित कुमार, आर.सी.मथुरिया, ब्रह्म प्रकाश, ए.आर. कोली, पी.आर. मीणा (दिल्ली), इन्द्राज सिंह, विश्राम मीना (राजस्थान), आर.वी. सिंह, हीरा लाल, एच.सी. आर्या, रोहित कुमार, जयपाल सिंह (उत्तराखंड), डी.के. बेहरा, डॉ. के. सी.मल्लिक, शंखानंद, नारायन चरन दास (उड़ीसा), परम हंस प्रसाद, आर.बी. सिंह (म.प्र.), आर.एस. मौर्या, दीपक पटेल (गुजरात), जी. रंगनाथन, बी. सगादेवन, एम.पी. कुमार (तमिलनाडु), के.रमनकुट्टी (केरल), मधु चन्द्रा (मणिपुर), महेश्वर राज, जी.शंकर, प्रेम कुमार, आई मैसया, एस. रामकृष्णा, जे.बी. राजू, वाई.एम. विजय कुमार, बी. नरसिंह राव, पी.वी. रमणा (आन्ध्र प्रदेश), अनिल मेश्राम, हर्ष मेश्राम (छत्तीसगढ़), कमल कृष्ण मंडल, रामेश्वर राम, सपन हलदर (प.बंगाल), मधुसूदन कुमार, विनय मुंडू (झारखण्ड), आर.के. कलसोत्रा (जम्मू व कश्मीर), मदन राम, कुमार धीरेंद्र (बिहार), जे. श्रीनिवासलू, जी. वेंकटस्वामी, पुरूषोत्तम दास (कर्नाटक), सीताराम बंसल (हि.प्र.)

पत्राचार : टी-22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-1,
फोन : 23354841-42, टेलीफैक्स : 23354843 Email : dr.uditraj@gmail.com

शेष पृष्ठ 1 का ...

क्रिकेट में दलित हिस्सेदारी

का कोई व्यक्ति यानी पालवंकर बालू हिंदू टीम का नेतृत्व करे, यह बात किसी को सहन नहीं थी।

ऐसे समय पालवंकर बालू को एक अनिच्छुक विद्रोही भी कहा जा सकता है। इसलिए कि उन्होंने खुले रूप में अपने दावे का इजहार नहीं किया था। लेकिन बरस-दर-बरस प्रतीक्षा के बाद 1920 में पी बालू ने शालीनतापूर्वक एक पत्रकार से बातचीत के दौरान कहा था कि एक वर्ष के लिए ही सही, टीम का नेतृत्व उन्हें दे दिया जाए। हिंदू टीम को दी गई उनकी सेवाओं के बदले यह एक पुरस्कार ही होगा।

आइए देखते हैं कि जिस हिंदू टीम को यश और सम्मान दिलाने में एक दलित क्रिकेटर पी बालू ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, उसके साथ हिंदू टीम और उनके खैरख्वाहों का कैसा व्यवहार रहा। गांधीजी इस घटनाचक्र में कैसे आए!

भारत में आरंभिक दौर में अंग्रेज ही क्रिकेट खेलते थे। उस समय हिंदू खिलाड़ियों को किक्रेट खेलने की मनाही थी। बाद के दस वर्षों तक भारतीयों ने क्रिकेट खेलने के लिए आंदोलन भी चलाया, जिसमें वे सफल हुए। क्रिकेट के इतिहास में इसे नस्लीय आधार पर सफलता भी कहा जा सकता है। बालू चमार जाति से थे। उनका जन्म 1875 में धारवाड़ में हुआ था। वहां से उनका परिवार पुणे आ गया और उनके पिता को बंदूकों और कारतूसों की सफाई करने का काम मिल गया।

बालू की योग्यता को सबसे पहले पुणे जिमखाना के ब्रिटिश सदस्य ने खोज निकाला, जहां वे नौकर के रूप में कार्यरत थे। यही वह समय था जब बालू और उनके भाई शिवराम को क्रिकेट सीखने का अवसर मिला। बालू को क्रिकेट क्लब में नौकरी भी मिल गई। पगार थी तीन रुपए माहवार। एक बार ऐसा हुआ कि जब अंग्रेज क्रिकेट मैदान में अभ्यास कर रहे थे तो ऐसे ही बालू ने बालिंग की, जो अपने आप में जबर्दस्त थी। वही घटना बालू के जीवन में ऐतिहासिक घटना बन गई।

प्रतिस्पर्धी दक्खन जिमखाना को क्रिकेट के इतिहास में इस महत्त्वपूर्ण घटना का पता लगने में देर नहीं हुई। तथाकथित उच्च समाज के लोग बालू के पास दौड़े-दौड़े आए। उस समय दक्खन जिमखाना के ब्राह्मण पुणे जिमखाना में ब्रिटिश क्रिकेट टीम को हराना चाहते थे। इसलिए उन्होंने पी. बालू को अपनी टीम में शामिल करने का प्रस्ताव रखा। बालू ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। हालांकि ब्रिटिश टीम के साथ उस समय पारसी टीम भी थी। इसे दलित क्रिकेट खिलाड़ी की देशभक्ति की भावना भी कहा जा सकता है।

बालू के भीतर सृजन था और संघर्ष भी। एक दलित को अवसर मिला तो वह प्रगति के मार्ग पर बढ़ता गया। सवर्ण जाति के अन्य खिलाड़ी भी उसकी 'बालिंग प्रतिभा' के कायल हो गए। बालू की प्रतिभा की चर्चा दूर-दूर तक हो गई। हिंदू जिमखाना, बंबई के प्रत्येक सदस्य उस 'दलित बालर' के बारे में जानने-पहचानने लगे थे।

उनके भीतर जिज्ञासा थी और ईर्ष्या भी। जल्दी ही कुछ गुजराती सदस्यों ने उसे अपनी टीम में भर्ती कर लिया। इस समय बालू के साथ उनके छोटे भाइयों शिवराम, गणपत और विट्ठल भी थे। क्रिकेट उस परिवार को जैसे सुखद उपहार में मिला था।

फरवरी 1906 में पी बालू और शिवराम ने यूरोपीय क्रिकेट खिलाड़ियों पर अपनी जीत लेते हुए एक कीर्तिमान स्थापित किया। एक भारतीय समाज सुधारक ने इसे निम्न जाति के क्रिकेटर के प्रति हिंदू उदारवाद की संज्ञा देते हुए कहा था, 'प्राचीन अलगाव और जातिसत्व से अलग करने वाले रिवाजों से मुक्तिदाता के रूप में राष्ट्र के लिए यह महत्त्व की बात है। विशेष रूप में नैतिक व्यवस्थित स्वतंत्रता की दिशा में यह स्वैच्छिक परिवर्तन की भावना है।'

तब के सभी राष्ट्रीय अखबारों की रिपोर्टिंग देखें तो पी बालू को प्रसिद्ध हिंदू क्रिकेटर के रूप में प्रतिभावान शख्सियत लिखा गया है, जिसे खुद एक दलित ने स्वीकार भी किया, लेकिन क्या हिंदू उसे ऐसा सम्मान दे पाए, जैसा बालू और उनके भाई ने क्रिकेट को दिलाया। 1910 से 1920 के बीच वार्षिक टूर्नामेंट के अवसर पर हर वर्ष पी बालू को क्रिकेट टीम का कप्तान बनाए जाने का अभियान कुछ प्रगतिशील हिंदुओं द्वारा छेड़ा जाता था, लेकिन रूढ़िवादी हिंदू कतई यह बर्दाश्त नहीं करते थे कि हिंदू टीम एक दलित के नेतृत्व में चले।

यहां यह बताना जरूरी है कि उसी दौरान गांधी राष्ट्रीय फलक पर 'छुआछूत' विषय को लेकर लगभग छा चुके थे। समाज परिवर्तन को लेकर हिंदू समाज पर पूरे देश में प्रगतिशील लोगों का दबाव बढ़ रहा था। वहीं अमेरिका, लंदन और जर्मनी से उच्च डिग्रियों और उपाधियों के साथ लौट कर डॉ. आंबेडकर ने 25 जून, 1923 में बंबई उच्च न्यायालय में वकालत की अनुमति पाने के संदर्भ में आवेदन किया था। बालू इस समय शीर्ष पर थे। उनकी प्रतिभा और ख्याति के किस्से दलितों के साथ गैर-दलितों के बीच में कहे-सुने जाते थे। आंबेडकर अपनी सभाओं में बालू के बारे में बताते थे।

इतिहास के कड़वे सच के साथ एक अच्छी बात यह भी हुई कि बालू को कप्तान बनाने के दबाववश हिंदू जिमखाना के प्रगतिशील लोगों ने समझदारी से काम लिया और पालवंकर बालू को क्रिकेट टीम का उप-कप्तान बना दिया। हिंदू टीम में सद्भावना का विकास हुआ। तीन वर्षों बाद बालू के छोटे भाई विट्ठल को कप्तान बनाया गया। यह ऐतिहासिक वर्ष था, जब हिंदू टीम में किसी दलित को कप्तान बनाया गया। जोश और उत्साह के साथ बालू बंधुओं ने यूरोपियंस टीम के साथ मैच खेला और वे जीते। अंग्रेजों की टीम के खिलाफ हिंदू टीम विजयी हुई।

इन्हीं दिनों गांधीजी ने नारा दिया- छुआछूत का उन्मूलन स्वराज के पथ पर प्रशस्त होगा। यह उनकी राष्ट्रीय घोषणा भी थी। हिंदू क्रिकेट टीम की उपलब्धियों का सेहरा बालू के भाई विट्ठल के सिर पर बांध दिया गया था। जोश और उत्साह में क्रिकेट प्रेमी उन्हें कंधों पर उठाए हुए थे। चारों तरफ परिवेश में हुर्रा कप्तान विट्ठल के नारे गूंज रहे थे। जैसे सभी जाति-द्वेष भूल गए हों।

1929 में जब विट्ठल का कैरिअर समाप्त होने को था तब बंबई के एक लेखक ने लिखा था, 'तीस वर्षों में बालू और उनके भाइयों ने जो कर दिखाया, वह आश्चर्यजनक था। हिंदू क्रिकेट के इतिहास में उनका योगदान सुनहरे पृष्ठों पर अंकित होगा। तीस वर्षों में एक ही परिवार की इतनी सारी उपलब्धियां! अब तक भारत के भीतर और बाहर क्रिकेट के इतिहास में ऐसा कीर्तिमान स्थापित नहीं हुआ था।' बंगलुरु के समाजशास्त्री रामचंद्र गुहा ने पी बालू को डब्ल्यूजी ग्रेस के समांतर बताया है, जिन्होंने भारत में क्रिकेट का विकास किया था।

सामाजिक संदर्भों में पी बालू की उपलब्धियों को अमेरिका के बेसबाल के प्रथम अश्वेत खिलाड़ी जेकी राबिनसन के समकक्ष रखा जा सकता है, जिन्होंने पहले की अभेद्य सामाजिक बाधाओं को खेल के माध्यम से तोड़ा था। इतनी सब उपलब्धियां किसी देश और समाज को देने के बावजूद पी बालू के हिस्से में क्या आया? हश्र लगभग वैसा ही हुआ। शोधार्थियों की जानकरी के लिए हम बता दें कि पी बालू की मृत्यु 1955 में हुई थी। वे आंबेडकर से पहले पैदा हुए थे और मृत्यु भी उनकी उनसे पूर्व ही हो गई। महत्त्वपूर्ण बात है कि पी बालू गांधीवादी थे। दूसरे, वे आंबेडकर के विरोध में ही चुनाव में खड़े हुए थे। तीसरे 1932 में आंबेडकर-गांधी के बीच जो पूना समझौता हुआ, उस पर हस्ताक्षर करने वालों में वे भी एक थे।

इतना तो कहना होगा कि इतिहास अपने आप में दोहराया जाता है। उदाहरण के लिए, सचिन तेंदुलकर के बचपन के दोस्त, 19 फरवरी, 1993 को इंग्लैंड के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई में दोहरा शतक बनाने वाले, फिर 13 मार्च, 1993 को जिंबाब्वे के खिलाफ, फिरोज शाह कोटला, दिल्ली में एक हजार टेस्ट रन पूरा करने वाले विनोद कांबली आज क्रिकेट के इतिहास में कहां हैं! हालांकि सचिन के साथ ही कांबली ने कभी सेंट जेवियर स्कूल, फोर्ट मुंबई के खिलाफ 664 रन बनाए थे। लेकिन आज उनके हिस्से में क्या है?

अठारह जनवरी, 1972 को कांजूर मार्ग, मुंबई में पैदा हुए विनोद कांबली के बारे में कहा जाता है कि ऊंची इमारतों से घिरे संकरे स्थान पर वे क्रिकेट खेला करते थे। फिर भी उनकी गेंद ऊंची जाती थी, लेकिन वे उतना ऊंचा नहीं उठ सके, जितना उनके दोस्त सचिन तेंदुलकर। बात कुछ भी हो, कारण कुछ भी हो, पर उनके जीवन में भी लगभग पी बालू जैसा ही हुआ। सितंबर 2010 में वे ईसाई बन गए। क्रिकेट से फिल्म, फिल्म से राजनीति, राजनीति से टीवी कमेंट्रेटर, दुखद परिस्थितिवश वे बदलते गए, पर क्या क्रिकेट के रहनुमा बदले?

(साभार : जनसत्ता)

हकीर कहो, फकीर कहो आगरे का हूं

पूनम तुषामड़

आगरे का होने का ये फक्र, ये भाषा, ये अंदाज राजेन्द्र जी के व्यक्तित्व में ताउम्र रहा। आप राजेन्द्र जी से रुबरु बात कीजिये या उनकी रचनाओं में देखिये आप को वहीं राजेंद्र यादव मिलेंगे। एक जैसे, उनकी कथनी-करनी और लेखनी में लेश मात्र भी फर्क नहीं। उतने ही मुखर, स्पष्ट और साधारण। जिस समय वे साहित्य के क्षेत्र में आये एक से एक भाषिक तीरंदाजों से उनका परिचय रहा जिनमें प. राम विलास शर्मा से लेकर नामवर सिंह के नाम शामिल हैं किन्तु राजेन्द्र यादव जी ने न तो किसी से प्रभावित होकर अपनी भाषा में कोई परिवर्तन किया और न हीं किसी के व्यक्तित्व से आतंकित हुए। हाँ, जिसमें जो खूबियां रही उसे वे दिल से स्वीकारते थे, और जहां आलोचना की जरुरत होती थी तो आलोचना करते समय भी वे किसी प्रकार के प्रभाव से आतंकित नहीं होते थे। ऐसा नहीं है कि राजेन्द्र जी का यह नजरिया केवल दूसरों तक ही सीमित था वे अपने पर की गई दूसरों की आलोचना तथा आत्मआलोचना के प्रति भी उतने ही क्रूर और ईमानदार थे। उनकी इस प्रवृत्ति को उनके आलोचनात्मक संस्मरणों कि पुस्तकों में देखा जा सकता है। जब वे कहते हैं-

''हो सकता है, मेरा सारा लेखन और सारी जिंदगी एक मीडियाकार की जीवनी ही बनकर रह गई हो, मगर मेरे माध्यम से कुछ महान और विशिष्ट हो रहा है- इस मुगालते के बिना एक क्लर्क तक नहीं जी सकता तो मैं फिर भी लेखक हूँ। ...हालांकि यह भी जानता हूँ कि मुझ जैसे लेखक हर भाषा में दर्जनों भरे-पड़े हैं। ...इस अन्धविश्वास के मारे कि पता नहीं इतिहास कब, कहाँ से उठाकर कहाँ रख दे।''

राजेन्द्र यादव अपने आप को विशिष्ट दिखने कि दौड़ में कभी शामिल नहीं रहे और न ही कभी उनके व्यक्तित्व में किसी तरह की विशिष्टता को दर्शाने का आभास हुआ। वे हंस के संपादक थे। एक ऐसी पत्रिका जिसके साथ अपने समय के एक प्रमुख साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद का नाम जुड़ा था। हंस के संपादक के रुप में कार्यरत राजेंद्र जी ने अपनी साहित्यिक योग्यता, दूरदर्शिता एवं सकारात्मक सोच के साथ परिवर्तनशीलता के बल पर हंस पत्रिका को सचमुच एक नवीन ऊर्जा और पंख दिए। ये राजेन्द्र जी के कुशल संपादन का ही प्रतिफल है कि उनके देहांत से पूर्व तक हंस लगातार निकलती रही। राजेन्द्र यादव ने हंस पत्रिका के प्रत्येक सम्पादकीय में समकालीन मुद्दों को आधार बनाकर न केवल उनपर अपनी राय रखी बल्कि हंस में ऐसे मुद्दों को बहस के रूप में भी समाज के समक्ष रखा। फिर चाहे वे मुद्दे समाज के शोषित पीड़ित, उपेक्षित समझे जाने वाले दलितों के हों, अल्पसंख्यकों के हों, आदिवासियों के या फिर स्त्री शोषण के। राजेंद्र जी ने कभी अपनी लेखनी के साथ समझौता नहीं किया और अपने पर या पत्रिका पर उठने वाले प्रश्नों को भी बेहद सूझबूझ एवं तर्क क्षमता से हल किया।

समाज में घटने वाली प्रत्येक घटना के प्रति उनकी गहन संवेदनाएं और उनके प्रति उनके विचारों-सरोकारों को उनकी लिखी पुस्तकों से समझा जा सकता है। 'कलम का सिपाही' बेशक मुंशी प्रेमचंद को कहा गया हो किन्तु इसे चरितार्थ राजेन्द्र यादव ने किया। तभी तो हंस ऐसी अकेली पत्रिका बन पाई जिसके सम्पादकीय को पढ़ने के लिए पाठक हंस पत्रिका खरीदते थे।

राजेन्द्र जी का व्यक्तित्व इसलिए उन्हें अपने समकालीन सभी नामचीन साहित्यकारों से अलग और विशिष्ट बनाता है। किन्तु इतने विशिष्ट होने के बावजूद ये उनका बड़प्पन ही है कि वे आदमी दर आदमी में स्वयं को खोजते हैं। वे कहते थे कि मुझे किसी भी प्रकार का बंधन रास नहीं आता। ... मैं हमेशा बंधनों को तोड़ने की कोशिश में लगा रहता हूँ। यही मेरी छटपटाहट सब जगह दिखती है जीवन में भी और साहित्य में भी ...और फिर कभी स्वयं को जन को समर्पित कतरे हुए कह उठते ''बरहाल, जो भी कुछ है, वह यही है ...अव्यवस्थित,

Rest of Page 8...

Our Fault

Dalit employees, officers and intellectuals are using the resources, time and the talents of the community in the name of creating awareness among them. They are at best playing the role of a preacher and story tellers because it sounds good to criticize an opponent. Thus when these people launch an attack on Brahminism, people of our community feel good and get mental satisfaction. These people attack traditions, social evils, myth and fatalism which are the bane of Brahminism, in such a way as if expliotation shall come to an end by their speeches and lectures. They do not suggest any alternative or a practical approach to these evils. If Buddhism or Atheism could be an alternative to Brahmanism, then what have they done in this matter in the last thirty years? Reservation in people's representation , govt. jobs and education is the main source of progress and those who undermine it are evading the responsibility to struggle and befool the community without doing anything. A community which stops trying and struggling for its right, can never become part of governance. Like Kalidas who was cutting the branch of a tree on which he was sitting, some SC/ST employees and officers, after getting benefits of reservation, instead of taking the struggle for reservation further, are seen to be boasting of giving benefits of reservation to others. It is very good to become givers of benefits of reservation but till then, shall we not struggle for our rights and share in governance. Liberalization has reduced our share in governance and the position in the days to come is also not good. Can we become givers of benefits of reservation under these circumstances? We can become givers of benefits only when we continue to launch our struggles on day to day basis and raise our voice effectively.

The All India Confederation of SC/ST Organizations has not shown any big dream but believed in yielding results. It has struck balance between practice and theory. Because of its struggle, 81st, 82nd and 85th constitutional amendments were made and reservation was saved. On the 4th November, 2001, lakhs of people were initiated into Buddhism and this was a big effort to create alternative culture. When the Backwards got reservations in higher education in 2006, we were in the forefront in this struggle to protect it. We have been continuously fighting for reservation in private sector. On 16.12.2013, we are holding a huge rally at Jantar Mantar, New Delhi, on issues like reservation in private sector, abolition of contract system in the Safai work and holding back privatization of education, etc. Whenever the Lokpal Bill is enacted, Dalits, Backwards and Minorities will definitely get reservation in it and it is because of the efforts of the Confederation that it has been possible. The Confederation has been taking up grievances of lakhs of SC/ST employees, officers and other victims through letters, telephonic talk, delegation and other available ways. Without giving an alternative to the community , we cannot bring about change simply by criticizing Brahminism. Our only fault is that we are responsible people and believe in making full use of every bit of help and cooperation but unfortunately we not getting the amount of cooperation that is expected from the society. My advice is that our ideology, methods and mission should be be taken to the grass roots level and see that this time rally becomes more successful .

Appeal to the Readers

You will be happy to know that the **Voice of Buddha** will now be published both in Hindi and English so that readers who cannot read in Hindi can make use of the English edition. I appeal to the readers to send their contribution through Bank draft in favour of **'Justice Publications'** at T-22**,** Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001. The contribution amount can also be transferred in 'Justice Publications' Punjab National Bank account no. 0636000102165381 branch Janpath, New Delhi, under intimation to us by email or telephone or by letter. Sometimes, it might happen that you don't receive the Voice of Buddha. In that case kindly write to us and also check up with the post office. As we are facing financial crisis to run it, you all are requested to send the contribution regularly.

Contribution:

Five years : Rs. 600/-

One year : Rs. 150/-

Samples of the Handbill for the forthcomming Rally are being published. It is an earnest appeal to the Confederation Leaders that they should get these printed and distributed

Confederation Call For A Rally For Reservation In Pvt. Sector And Economic Empowerment

Dr. Udit Raj
National Chairman

On 16th December, 2013 (Monday) at 11 AM, Lakhs of People to Assemble at Jantar-Mantar, New Delhi, And Then to Gherao Parliament

Friends,

The All India Confederation of SC/ST Organizations was established in 1997 to withdraw 5 anti-reservation orders issued by the DOPT. Our struggle was so vibrant that one of the rallies held on 11th December, 2000, is reckoned as the biggest rally after Independence. Another feather in the cap of our struggle was mobilization of lakhs of Dalits for conversion to Buddhism on November 4, 2001. When people hardly understood the implication of privatization, the Confederation raised the issue of private sector reservation. In 2006, reservation was given in higher education for OBCs although opposition was so huge and we immediately countered and as a result, it was successfully implemented. When Anna Hazare went on a fast in 2011 and the countrywide mood swung in his favour to bring about Lok Pal Bill, even at the cost of sovereignty of the Constitution, the Confederation not only replied with matching demonstration but also presented their version of Bahujan Lok Pal Bill. When the Parliament took up this issue for debate, reservation for SC/ST/OBC and minorities in the Lok Pal Bill was considered as envisaged in the Bahujan Lok Pal Bill. Since 1997, the Confederation is the only organization in the country which has struggled and brought forth positive results whereas others have engaged themselves mostly in raising funds, holding seminars, public meetings and conducting cadre camps which are merely a theroretical exercise.

Reservation in private sector is a question of life and death. The UPA I was a little bit serious about it but is now dithering from its stand in UPA II. It is due to our weak support base. Our strength dwindled due to leg-pulling and selfish nature of employees. The Lucknow High Court gave a judgement on 4.1.2011 withdrawing reservation in promotions. We tried to muster the support of the U.P. employees but they refused to come forward and as a result, demand for reservation in promotions could not be fought. In the last paragraph of the judgement, the High Court held that if the State Government wants to continue reservation in promotions, it can do so by complying with the conditions of the M. Nagaraj judgement. In 2006, the Supreme Court gave a judgement in the case of M. Nagaraj, laying down the conditions of backwardness, adequate representation and efficiency. It is to be noted that the 77th, 81st, 82nd and 85th constituitional amendmentls never mentioned such conditions. Unfortunately, the U.P. Government preferred to file a suit in the Supreme Court and the Supreme Court, as it was expected, endorsed the Lucknow High Court verdict on 27.4.2012. The 117th Constitutional amendment which provides reservation in promotion, was passed in Rajya Sabha in last winter session in Parliament and it is yet to be passed by Lok Sabha. All these demands can be met provided our struggle gains the strength.

A Bill to make the Reservation Act is pending in the Parliament since 2004 and till date, it has not been passed. Due to privatization and globalization, social scenario has changed and those who have wealth and black money, control the media and political power. The ideological battle is coming to an end. In such a situation, if SC/ST and OBC people are aloof from economic empowerment, they will be relegated to further backwardness and slavery. For participation in economic empowerment, a strong movement like a political movement has to be launched like training, cadre camp, technological know-how, loans and subsidies facilities, net-working, demand and supply.

Despite the above problems, the exploitation of scavengers is quite acute and it is more due to contract system. There is no reservation in higher judiciary and Army. Geting caste certificate is a big problem and caste certificate of one State is not valid in another State thus depriving job opportunities. Currently we are facing the biggest challenge of Dalit unity and for this, we need to adhere to the ideology of Dr. Ambedkar and other social reformers. Those who are Ambedkarites, are duty bound to mobilize the less Ambedkerite castes like Balmiki, Khatik, Madiga, Passi, Dhanuk, Dhobi and Koli etc. This will not only increase our number but also strengthen us.

Kindly assemble in lakhs at Jantar-Mantar, New Delhi on 16th December, 2013 at 11 AM and thereafter to gherao the Parliament.

By

.

Bhawan Nath Paswan, Dr. Anil Kumar, S.P Singh (UP), Indira Athawale, Siddharth Bhojne, S.U. Gadpyle, Prakash Patil (M.S.), Maha Singh Bhurania, S.P. Jaravta, Phool Singh Gautam, Deepak Pilot (Haryana), Jasbir Singh Pal, Darshan Singh Chanded (Punjab), Vinod Kumar (M.-9871237186), Dr. Nahar Singh, N. D. Ram, Lalit Kumar, R. C. Mathuria, Brahm Prakash, A. R. Koli, P. R. Meena (Delhi), Indraj Singh, Vishram Meena (Rajasthan), R.V. Singh, Hira Lal, H.C. Arya, Rohit Kumar, Jaipal Singh (U.K.), D.K. Behera, Dr. K. C. Mallick, Shankhanand, Narayan Charan Das (Orissa), Param Hans Prasad, R.B. Singh (M.P.), R.S. Maurya, Deepak Patel (Gujarat), G. Rangnathan, B. Sagadevan, M. P. Kumar (T.N.), K. Raman Kutty (Kerala), Madhu Chandra (Manipur), Maheshwar Raj, G. Shankar, Prem Kumar, I Mysaiah, J. B. Raju, S. Ramkrishna, Y.M. Vijay Kumar, B. Narsingh Rao, P. V. Ramna (A.P.), Anil Meshram, Harsh Meshram (Chattisgarh), Kamal Krishna Mandal, Rameshwar Ram, Sapan Haldar (W. Bengal), Madhusudan Kumar, Vinay Mundu (Jharkhand), R.K. Kalsotra (J&K), Madan Ram, Kumar Dhirendra (Bihar), J. Shriniwaslu, G. Venkatswamy, Purushottam Das (Karnataka), Seetaram Bansal (H.P.).

All India Confederation of SC/ST Organisations

Corres.: T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-1, Tel : 23354841-42, Telefax: 23354843, Email : dr.uditraj@gmail.com

Jai Bheem !

Jai Bharat !!

All India Confederation of SC/ST Organisations

Dr. Udit Raj
National Chairman

Call

For Reservation in Private Sector & Promotion and making of Reservation Act

MAHARALLY & Parliament Gherao

at

Jantar Mantar, New Delhi on 16th Dec., 2013 (Monday) at 11 AM

By

Bhawan Nath Paswan, Dr. Anil Kumar, S.P Singh (UP), Indira Athawale, Siddharth Bhojne, S.U. Gadpyle, Prakash Patil (M.S.), Maha Singh Bhurania, S.P. Jaravta, Phool Singh Gautam, Deepak Pilot (Haryana), Jasbir Singh Pal, Darshan Singh Chanded (Punjab), Vinod Kumar (M.- 9871237186), Dr. Nahar Singh, N. D. Ram, Lalit Kumar, R. C. Mathuria, Brahm Prakash, A. R. Koli, P. R. Meena (Delhi), Indraj Singh, Vishram Meena (Rajasthan), R.V. Singh, Hira Lal, H.C. Arya, Rohit Kumar, Jaipal Singh (U.K.), D.K. Behera, Dr. K. C. Mallick, Shankhanand, Narayan Charan Das (Orissa), Param Hans Prasad, R.B. Singh (M.P.), R.S. Maurya, Deepak Patel (Gujarat), G. Rangnathan, B. Sagadevan, M. P. Kumar (T.N.), K. Raman Kutty (Kerala), Madhu Chandra (Manipur), Maheshwar Raj, G. Shankar, Prem Kumar, I Mysaiah, J. B. Raju, S. Ramkrishna, Y.M. Vijay Kumar, B. Narsingh Rao, P. V. Ramna (A.P.), Anil Meshram, Harsh Meshram (Chattisgarh), Kamal Krishna Mandal, Rameshwar Ram, Sapan Haldar (W. Bengal), Madhusudan Kumar, Vinay Mundu (Jharkhand), R.K. Kalsotra (J&K), Madan Ram, Kumar Dhirendra (Bihar), J. Shriniwaslu, G. Venkatswamy, Purushottam Das (Karnataka), Seetaram Bansal (H.P.).

Corres.: T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-1,
Tel : 23354841-42, Email : dr.uditraj@gmail.com

VOICE OF BUDDHA

Publisher : Dr. UDIT RAJ (RAM RAJ), Chairman - Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42

● Year : 16 ● Issue 24 ● Fortnightly ● Bi-lingual ● 1 to 15 November, 2013

Our Fault

Dr. Udit Raj

We don't emotionalize people and sell the dreams like other social and political dalit leaders do. We have been more misunderstood than understood. Our country is a land of emotions and lofty promises. Confederarion consists of educated leaders who talk logically and believe in results.

There are dalit activists and leaders who have acquired more strength by projecting big dreams in future. They tell that the moment political power is captured, all major problems will vanish automatically. Political power is the one key of so many locks. This is the main source of rights and dignity of Dalits, Adivasis, the poor, women, minorities and backwards. Circumstances have changed and power of Parliament has been diluted. Higher Judiciary, Media and the Corporate houses have encroached upon the power of people's representatives. Two sitting Judges of the Supreme Court gave a judgment in a couple of minutes proclaiming that those politicians who are convicted for more than two years, their membership of the Assembly or Parliament shall be cancelled. It is quite possible that the Parliament might have taken some years to make such kind of law because the law-making process is quite complicated and the party in power has to face the opposition. A few years back nobody could think that the Judiciary will start making laws . This unconstitutional and undemocratic act of making laws is being openly done by the Judiciary. The people who should have raised this issue in the Parliament are themselves involved in serious corruption cases. Politics without corruption has become impossible and the corporate houses are exercising big control over the political class. Once the business class shows its opposition to some reason or cause, then the political class just becomes helpless. For example, for the purpose of reservations in the private sector, Government constituted several committees but the corporate houses opposed it and till now there has been no progress in the matter. Unless a large scale movement is not launched on this issue, it is next to impossible to get a law passed in the matter. In all big campaigns, All India Confederation of SC/ST Organizations has always been in the forefront.

We have to capture political power and raise our voices in the streets, legislative assembles and the Parliament and all other available platforms and hold demonstrations/ agitations against discriminations and atrocities on the issues like depriving the SC/ST employees and officers of their rights and privileges, non- filling up of vacant posts, land right, minimum wages, contractual system specially in Safai work, rapes and murders etc. For the last two-three decades, a sizeable portion of our people have become inactive because they are hoping to capture political power in future and till that time, will not do anything and this has led to all-round increase in atrocities, reduction in rights and indifference towards new demands. Baba Saheb Dr. B.R. Ambedkar never said that he will do or fight only after he captures political power. Based on the then existing circumstances , he launched his struggle and movements on day-to-day basis whether it was the question of entry into a temple, use of pond water, reservation, initiation into Buddhism, mobilizing the labourers or struggle against social evils. Even when we wrest power, it will not be magic to bring about development overnight. With a view to capture power completely, the confederation believes in launching its struggles on day-to-day basis. Thus we have to take full responsibility and not merely to use the means, resources and time of the community by showing them the carrot of the goal of achievement. Even after coming into power, no Chief Minister or Prime Minister can issue a diktat or make a law of his own over night like an emperor. There are both Treasury and the Opposition benches and there is a process for making laws and giving rights. Power does not always remain into the hands of a particular person or caste but it keeps on changing hands. Thus the people who have left the path of struggle , they are not giving anything to the community but are, in fact, making a fool of the community.

The Confederation not only condemns this approach but believes in continuous struggle for wresting power. Some

Rest on Page 5...

Beware of Aam Aadmi Party

Vinod Kumar

Arvind Kumar Kejriwal is a creation of Media, industrialists and some foreign agencies. The man who talks about corruption from the roof top started his social career by taking donations from organizations like Ford Foundation. Ford Foundation is controlled and managed by CIA. It is worth mentioning here that when Anna Hazara sat on hunger strike for the introduction of Jan Lokpal from Ramlila Maidan, New Delhi, All India Confederation of SC/ST Organizations under the leadership of Dr Uditraj, had organized a parallel rally asking whether they had faith in the Constitution and presented Bahujan Lokpal Bill before the Standing Parliamentary Committee . If Arvind Kejriwal was really sincere about the weeding out corruption, he would have also included corruption of NGOs , Judiciary and Media in their Bill. When we sought their support for reservation for Dalits, Backwards and Minorities in the Lokpal Bill, they remained silent. When the issue of reservation for Dalits raised in the Bahujan Lokpal Sabha came up for discussion in the Parliament, then there was consensus that whenever the Lokpal Bill is passed in the Parliament, this right will be duly included. Had there been no consensus on the issue of reservation in the Bill, Anna Hazare and Arvind Kejriwal would have still been struggling for the introduction of Lokpal Bill. Somehow they got the impression that there will be 50 reservation for Dalits in the Bill and people from the upper caste alone will not gain much even if the Bill is passed . Having been disappointed, he abandoned his struggle for Lokpal Bill and formed Aam Admi Party. It can be safely said that Aam Admi Party is the result of opposition to reservation. In the year 2006, when the Backwards got reservation in institutions of higher learning, Arvind Kejriwal had launched a struggle against it. Arvind Kejeriwal , Kiran Bedi and Ravi Shankar of Art of Living had jointly held a demonstration at Jantar Mantar for a reservation-free India. Arvind Kejriwal has cheated the people from Valmiki community by assuring them that when he forms Government in Delhi NCR, he would abolish the contract system in Safai work. Arvind Kejriwal had vehemently opposed reservation on the platform of Equality Forum on 2 August , 2008 at 9.30 PM in Tapti Hostel, JNU . The Valmiki community should not fall into the trap of Arvind Kejriwal who has continuously been running Equality Forum against reservation. They should make their own judgement as to how such a person can be a well-wisher of Dalits. He is an extremely shrewd person. He ditched Anna Hazare and thus the communities which needs reservation should never vote for Aam Admi Party . If by chance, Aam Admi Party makes any headway, then Dalits will get the same treatment as has been meted out to Anna Hazare, i.e they will be cheated.

Publisher, Printer and Editor - Dr. UDIT RAJ (FORMERLY KNOWN AS RAM RAJ), on behalf of Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42, Telefax:23354843, Printed at Sanjay Printing Works, WZ-4A, Basai Road, New Delhi.

Website : www.uditraj.com E-mail: dr.uditraj@gmail.com Computer typesetting by N. K. Karn